सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

Date : 18.02.2026

Sir,

1. **The Chairman-cum-Managing Director,**
Coal India Limited (CIL),
Coal Bhawan, Premises No-04 Mar,
Plot No-AF-III, Action Area-1A,
New Town, Rajarhat,
Kolkata, West Bengal 700156
Email Id: chairman.cil@coalindia.in

2. **The Chairman-cum-Managing Director**
Western Coalfield Limited (WCL),
Coal Estate, Civil Lines,
Nagpur, Maharashtra 440001
Email Id: cmd.wcl.cil@coalindia.in

Sub: Representation under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013-continued victimization, retaliatory transfer and failure of the management to take action on the complaint of the petitioner- letter dated 08.11.2025 of Dr. Shweta Giridhar Gharatkar, Deputy Medical Superintendent, at WCL, Umred Area Hospital Umred (Maharashtra).

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 22.01.2026 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

(यो. प्र. यादव/Y. P. Yadav)
उप सचिव/Deputy Secretary
Email ID :rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Dr Shweta Giridhar Gharatkar,
Plot No. 68, Vikas Colony,
Bay Pass Chowk, Near Meshram Complex,
Post-Umred, District.-Nagpur
Maharashtra - 441203
Mobile No:8605566312

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH Act), 2013 के तहत प्रतिनिधित्व - लगातार उत्पीड़न, प्रतिशोधात्मक स्थानांतरण और याचिकाकर्ता की शिकायत पर वेस्ट्रन कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर के प्रबंधन की कार्रवाई करने में तथाकथित विफलता- डब्ल्यूसीएल, उमरेड एरिया अस्पताल, उमरेद, नागपुर (महाराष्ट्र) में उप चिकित्सा अधीक्षक (Deputy Medical Superintendent) के पद पर कार्यरत डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर का दिनांक 08.11.2025 के अभ्यावेदन के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में लोक नायक भवन , खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग/ सुनवाई की तिथि: 22.01.2026

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया है कि उनके सीनियर और WCL, उमरेद हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉ. संजय कुमार ने उनके साथ बार-बार गलत हरकतें कीं, अश्लील टिप्पणियां कीं और उनके साथ डराने-धमकाने वाला व्यवहार किया। उनके मौखिक विरोध और चेतावनी के बावजूद, उनका यह व्यवहार जारी रहा, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी और अपमान हुआ। इस मामले की पहली शिकायत उनके द्वारा दिनांक 04.02.2023 को उमरेद के एरिया जनरल मैनेजर को मौखिक रूप से की गई थी और उसके बाद उन्हें डॉ. संजय कुमार के खिलाफ उमरेद पुलिस स्टेशन में 06.02.2023 को FIR दर्ज करानी पड़ी। उन्होंने सही चैनल से और तय समय सीमा के अंदर AGM, WCL और उसके बाद WCL की महिला सेल को लिखित शिकायत दी। परंतु अभी तक एरिया GM, WCL या महिला सेल द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों ने शुरू में तुरंत कार्रवाई नहीं की और शिकायत को कमजोर करने की कोशिश की, जिससे उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए एक आवेदन देना पड़ा। आखिरकार, उचित जांच के बाद, पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उमरेड के सामने अंतिम रिपोर्ट पेश की। शिकायत दर्ज कराने के बाद, उन्हें लगातार बदले की भावना से परेशान किया गया, जिसमें मीटिंग में अपमान, ऑफिशियल बातचीत से बाहर रखना, खराब परफॉर्मेंस रिमार्क्स और काम न देना शामिल है। आखिरकार, डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर को 06.06.2025 के एक आदेश से माजरी एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया, जो साफ तौर पर सज़ा के तौर पर था और जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण नहीं था। प्रार्थिनी ने अपने बूढ़े माता-पिता की मेडिकल कंडीशन का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि उनकी माता जी कैंसर के भयानक रोग से पीड़ित है जिन्हें specialized oncological treatment की आवश्यकता है तथा उनके पिता जी को हुए हृदय तथा किड़नी संबंधी बीमारियां है। डॉ. श्वेता गिरिधर घरतकर ने अपने माता-पिता की गंभीर बीमारियों के चलते WCL अधिकारियों के सामने अपने ट्रांसफर के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दिया। हालांकि, मैनेजमेंट ने आज तक उनके रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं दिया है। डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर ने कमीशन से अनुरोध किया है कि वे उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर फिर से विचार करें और उसे रद्द करें, उनकी यौन उत्पीड़न की शिकायत की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए, विधिवत गठित ICC या बाहरी समिति के ज़रिए व्यवस्था करें और जांच पूरी होने तक आरोपी अधिकारी, डॉ. संजय कुमार को सस्पेंड करें।

आशा लकड़ा

(Pg 1/2)

2. **आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2025** को जारी नोटिस/अनुस्मारकः द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वेस्ट्रन कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर विषय से संबंधित 10 दिन के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया। लेकिन संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालयों से कोईवांछित प्रतिक्रिया/सूचना/टिप्पणी प्राप्त न होने पर उन्हें दिनांक 01.01.2026 को अनुस्मारक भेजकर 15 दिन के भीतर वांछित सूचना देने का पुनः अनुरोध किया गया ।

3. मामने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग में सुनवाई निर्धारित कीगई, जिसके लिए तदनुसार संबन्धित प्राधिकारियो को **सिटिंग नोटिस 13.01.2026** को जारी किया गया |

5. **प्रकरण में 22.01.2026 के सुनवाई के दौरान** वेस्ट्रन कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारीगण एंव शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा विरस्तृत चर्चा हुई।

6. सुनवाई के दौरान वेस्ट्रन कोलफील्ड लिमिटेड, ने जानकारी दी की डॉ. श्वेता गिरिधर घराटकर द्वारा 04.02.2023 को दी गई मौखिक शिकायत के आधार पर आरोपी डॉ. संजय कुमार को 09.02.2023 को उमरेद क्षेत्र से कानहन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि कार्यस्थल पर आगे कोई प्रत्यक्ष संपर्क न हो और वातावरण सामान्य बना रहे; इसी बीच प्रार्थिनी की लिखित शिकायत 09.02.2023 को प्राप्त हुई थी तथा उन्होंने 06.02.2023 को आरोपी के विरुद्ध FIR भी दर्ज करा दी थी, जिसके कारण मामला पुलिस की आपराधिक जांच के अंतर्गत आ गया। WCL ने यह भी स्पष्ट किया कि उमरेद क्षेत्र में इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी (ICC) कार्यरत है, किंतु ICC, उमरेद एरिया द्वारा 01.01.2026 के पत्र के माध्यम से यह पुष्टि की गई कि वर्ष 2023 में प्रार्थिनी की ओर से ICC के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिस कारण ICC स्तर पर कोई जांच प्रारंभ नहीं की जा सकी; साथ ही यह भी कहा गया कि WCL में महिलाओं के उत्पीड़न से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध है। जहाँ तक जून 2025 में प्रार्थिनी के उमरेद क्षेत्र से माजरी क्षेत्र में स्थानांतरण का प्रश्न है, WCL का कहना है कि यह स्थानांतरण अत्यधिक प्रशासनिक आवश्यकता एवं सरकारी हित में किया गया तथा इसका कथित यौन उत्पीड़न की घटना से कोई संबंध नहीं है, जो घटना के लगभग दो वर्ष बाद हुआ; साथ ही यह भी बताया गया कि प्रार्थिनी ने 01.07.2025 से नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और इस प्रकार वह उक्त तिथि से अनधिकृत अवकाश पर हैं।

7. याचिकाकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि वह माजरी में अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने को लेकर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि आरोपी अधिकारी निकटवर्ती क्षेत्र में पदस्थ है, इसलिए वह वहाँ कार्यभार ग्रहण करने को इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके प्रकरण में गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा अब तक कोई आंतरिक जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

8. **मामले में सुनवाई करते हुए एवं दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:**

i. दोनों पक्षों को सुनने एवं प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थिनी की शिकायत पर संबंधित थाने में प्राथमिकी (FIR) पहले ही दर्ज की जा चुकी है तथा मामला सक्षम न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। अतः आयोग इस स्तर पर उक्त मामले की जाँच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।
ii. WCL यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता के नए पदस्थापन के दौरान आरोपी अधिकारी को उसके निकटवर्ती क्षेत्र में पदस्थ न किया जाए, जिससे याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा विभाग की प्रशासनिक आवश्यकताओं की भी समुचित पूर्ति हो सके। याचिकाकर्ता के नए पदस्थापन को इस प्रकार किया जाए कि उसे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा असुविधा का सामना न करना पड़े ।
iii. मामले में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को 30 दिवस में प्रेषित की जाए ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

10/02/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(Pg 2/2)

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-3298/MCOL/57/2025-RU-IV

Sitting to be held on **22.01.2026 at 05.20 P.M-** Representation under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013-continued victimization, retaliatory transfer and failure of the management to take action on the complaint of the petitioner- letter of **Dr. Shweta Giridhar Gharatkar,** Deputy Medical Superintendent, at WCL, Umred Area Hospital Umred (Maharashtra).

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri J.P. Singh Consultant		
5.	Mrs. Sonal Raj Sr. Investigator		
6.	Shri Rahul Investigator		
7.	Ms. Riya Investigator		
8.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
9.			
10.			
II	**Officers from O/o Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited (CIL), Kolkata**		
1.	Dr. H. S. Pande	7888705353	
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfield Limited (WCL), Nagpur**		
1.	P.S. Jal	9422843321	
2.	Dr. Jayashree Moghe	8275970889	
3	Atul P. Bansod	9960736128	
IV	**Petitioners**		
1.	Dr Shweta G. Gharatkar	8605566312	Deputy M. SWCL